

## झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ३४८ राँची ,गुरुवार

**31** वैशाख, 1937 (श**॰**)

21 मई, 2015 (ई॰)

## वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 मई, 2015

एस-ओ-50 दिनांक 21 मई, 2015— झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर को निम्नलिखित वस्तुओं की खरीद पर देय मूल्यवद्धित कर से विमुक्ति प्रदान करते हैं बशर्ते रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर के स्वामी, यह प्रमाणित करें कि उक्त वस्तुएँ रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर के उपयोग के लिए ही है:-

- 1. प्रिटिंग एवं स्टेशनरी वस्तुएँ
- 2. साईंस लेबोरेटरी वस्तुएं
- 3. खेलकूद से संबंधित वस्तुएं
- 4. दवाएं
- 5. वाहन के टायर एवं ट्यूब एवं उनके पार्ट्स
- 6. कार्यालय उपकरण
- 7. फर्नीचर

- 8. फर्नीचर के मरम्मती एवं रख-रखाव से संबंधित वस्तुएं
- 9. भवनों की मरम्मती एवं रख-रखाव से संबंधित वस्तुएं
- 10. बिल्डिंग मैटेरियल्स
- 11. इलेक्ट्रिकल गुड्स एवं
- 12. कम्प्यूटर
- 13. डीजल जेनेरेटर सेट
- 2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी एवं दिनांक 31 मार्च, 2016 तक प्रवृत रहेगी ।
- 3. संस्था को निशुल्क कार्यों के लिए ही कर-विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी।

## घोषणा पत्र

अधिसूचना सं0	एस० ओ०	दिनांक
पुस्तिका सं0	प्रपत्र सं0	
सेवा में,		
इसके द्वारा प्रमाणित किया	जाता है कि बिल /कैश मेमो संख	या दिनांक
₹0	द्वारा खरीदा गया माल	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी
बिष्टुपुर, जमशेदपुर के उपयोग के र्	लेए है तथा वे अधिसूचना संख्या	rएस0 ओ0
दिनांकद्वारा आच्छाति	देत है।	
स्थान		हस्ताक्षर
तिथि		पदनाम

(संचिका संख्या वैट /विमुक्ति /1 /2006/1757) झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, **निधि खरे,** सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची ।

-----

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, झारखण्ड गजट (असाधारण) 348--50।